



पत्रांक :- 41/अधि० छा० कल्या० कार्या०/छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति/2024-25 दिनांक : 30 सितम्बर, 2024

// अति महत्वपूर्ण सूचना //

(सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आधार बेस्ड फेशियल ऑथेन्टिकेशन)

विश्वविद्यालय में संचालित बी० फार्मा, बी०टेक, एल०एल०एम०, एम०टेक, एम०बी०ए०, एम०सी०ए० एवं पीएच०डी० पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के विद्यार्थियों को विशेष कर सूचित किया जाता है कि आप सभी की उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से की जायेगी। जिला समाज कल्याण लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2023 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में 75 प्रतिशत या उससे अधिक उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगा एवं समस्त अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन के माध्यम द्वारा की जायेगी तथा 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त संचालित पाठ्यक्रमों के समस्त अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की उपस्थिति की गणना आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से प्रतिदिन प्रातः 09:30 बजे से 10:00 बजे तथा सायं 04:00 बजे से 04:30 बजे तक आधार बेस्ड बायोमेट्रिक/फेशियल ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से इन व आउट उपस्थिति लगाना सुनिश्चित करें तभी वह उपस्थिति पूर्ण मानी जायेगी। इन व आउट उपस्थिति में से कोई एक लगता है तो वह उपस्थिति अपूर्ण मानी जायेगी।

नोट-

विश्वविद्यालय में संचालित बी० फार्मा, बी०टेक, एल०एल०एम०, एम०टेक, एम०बी०ए०, एम०सी०ए० एवं पीएच०डी० पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि प्रतिमाह 75 प्रतिशत या उससे कम उपस्थिति होने पर जिला समाज कल्याण, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न प्राप्त होने के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा एवं अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(डॉ० आशुतोष पाण्डेय)
अधिष्ठाता,
छात्र-कल्याण

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त सहायक/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, विश्वविद्यालय।
5. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभाग।
6. महिला एवं पुरुष छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

(डॉ० आशुतोष पाण्डेय)
अधिष्ठाता,
छात्र-कल्याण